"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2009—आश्विन 13 शक 1931

### वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-6/26/2009/वाक/पांच (36).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमाक 2 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-12-1982 (43) वित्त-पांच, दिनांक 12 नवम्बर, 1982 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देशित करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी उसके कॉलम (3) में तत्स्थानीं प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो उन्हें प्रदत्त की गई हो एवं अधिरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किए जाए और उनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर रहेगा :—

### अनुसूची

| अ. क्र. (1) | अधिकारी का पदनाम (2) | क्षेत्र (3) | मुख्यालय (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग-एक | इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2008/वाक/पांच (54) दिनांक 15 दिसम्बर 2008 द्वारा अधिसूचित रायपुर राजस्व जिला का वह भाग, जो कि रायपुर वृत्त-एक, दो, तीन, चार एवं पांच की सीमा में समाविष्ट है तथा महासमुंद राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र. | रायपुर |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर संभाग-दो | इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2008/ वाक/पांच (54) दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित रायपुर राजस्व जिला का वह भाग, जो कि रायपुर वृत्त-छै: सात, आठ एवं नौ की सीमा में समाविष्ट है तथा जगदलपुर (बस्तर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), नारायणपुर, बीजापुर एवं धमतरी राजस्व जिलों को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र. | रायपुर |
| 3. | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग संभाग | दुर्ग, राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र. | दुर्ग |
| 4. | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग-एक | इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2008/ वाक/पांच (54) दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित बिलासपुर राजस्व जिला का वह भाग, जो कि बिलासपुर वृत्त-एक, दो की सीमा में समाविष्ट क्षेत्र है तथा सरगुजा एवं कोरिया राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र. | बिलासपुर |
| 5. | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग-दो | इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-65/2008/ वाक/पांच (54) दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित बिलासपुर राजस्व जिला का वह भाग, जो कि बिलासपुर वृत्त-तीन की सीमा में समाविष्ट है तथा कोरबा, जशपुर, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिला को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र. | बिलासपुर |

2. यह अधिसूचना दिनांक 1-11-2009 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ-6/26/2009/वाक/पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6/26/2009/वाक/पांच (36), दिनांक 5-10-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

Raipur, the 5th October 2009

## NOTIFICATION

No. F-6/26/2009/CT/V (36).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and in super session of the this department Notification No. F-A 5-12-1982 (43) ST-V, dated the 12th November 1982, the State Government hereby directs that the officers, specified in column (2) of the Schedule below shall exercise such powers as have been conferred upon them and perform such duties as have been imposed upon them by or under the said Act, in the area specified in column (3) thereof and their headquarter shall be at the place specified in column (4) of the said Schedule :—

### SCHEDULE

| S. No. (1) | Designation of the person (2) | Area (3) | Headquarter (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Deputy Commissioner of Commercial Tax, Raipur Division-I | Area comprising of that part of revenue district of Raipur which is covered under the limits of Raipur Circle-I, II, III, IV, V as notified under this department Notification No. F-10-65/2008/CT/V (54), dated the 15th December, 2008 and revenue district of Mahasamund. | Raipur |
| 2. | Deputy Commissioner of Commercial Tax, Raipur Division-II | Area comprising of that part of revenue district of Raipur which is covered under the limits of Raipur Circle-VI, VII, VIII, IX as notified under this department Notification No. F-10-65/2008/CT/V (54), dated the 15th December, 2008 and revenue district of Jagdalpur (Baster), South Baster (Dantewada), North Baster (Kanker), Narayanpur, Bijapur and Dhamtari. | Raipur |
| 3. | Deputy Commissioner of Commercial Tax, Durg Division | Area comprising of the revenue districts of Durg, Rajnandgaon and Kabirdham (Kawardha). | Durg |
| 4. | Deputy Commissioner of Commercial Tax, Bilaspur Division-I | Area comprising of that part of revenue district of Bilaspur which is covered under the limits of Bilaspur Circle-I, II as notified under this department Notification No. F-10-65/2008/CT/V (54), dated the 15th December, 2008 and revenue district of Sarguja and Korea. | Bilaspur |
| 5. | Deputy Commissioner of Commercial Tax, Bilaspur Division-II | Area comprising of that part of revenue district of Bilaspur which is covered under the limits of Bilaspur Circle-III as notified under this department Notification No. F-10-65/2008/CT/V (54), dated the 15th December, 2008 and revenue district of Korba, Jashpur, Janjgir-Champa and Raigarh. | Bilaspur |

2. This Notification shall come into force with effect from 1-11-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.